न्यायालयः— शिवानी सैनी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बदनावर, जिला—धार, म0प्र0

Registration No—1169 / 2022
Filing No1929/2022
C.N.R. No-MP1105-0023392022
Filing Date13-10-2022

मध्यप्रदेश राज्य,
द्वारा उपनिरीक्षक आबकारी विभाग
बदनावर वृत्त ''बी'',
तहसील बदनावर जिला—धार, (म.प्र.) .....**अभियोजन**

::वि रू द्ध::

होकमसिंह पिता हरेसिंह,
उम्र—57 वर्ष, निवासी—ग्राम कराड़िया,
थाना—कानवन, जिला—धार (म.प्र.) .....**अभियुक्त**

आबकारी विभाग बदनावर वृत्त ''बी'', तहसील—बदनावर, जिला—धार के अपराध क्रमांक—374 / 2022, अपराध अंतर्गत धारा—34 (1) (क) आबकारी, अधिनियम 1915 से उद्भुत प्रकरण।

:: निर्णय ::
(दिनांक 13 / 10 / 2022 को घोषित)

1— अभियुक्त पर दिनांक 08.09.2022 को समय सुबह 11:30 बजे के लगभग आबकारी विभाग बदनावर वृत्त ''बी'' अंतर्गत अभियुक्त की नमकीन की दुकान ग्राम कराडिया थाना कानवन तहसील बदनावर, जिला धार में बिना वैद्य अनुज्ञप्ति के अपने आधिपत्य में अवैध रूप से एक थैली में 11 पाव देशी मसाला मदिरा (कुल 1.98 बल्क लीटर) रखने का अभियोग है, जो आबकारी अधिनियम की धारा 34 (1) (क) के अधीन दण्डनीय है।

2— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि आबकारी विभाग बदनावर वृत्त ''बी'' के उपनिरीक्षक मनोज अग्रवाल घटना दिनांक को सूचना के आधार पर समयाभाव के कारण बिना तलाशी वारन्ट प्राप्त किए ग्राम कराडिया में स्थित अभियुक्त के नमकीन की दुकान में समक्ष पंचान विधिवत जामा तलाशी लेने के बाद सामग्री एक थैली में 11 पाव देशी मसाला मदिरा (कुल 1.98 बल्क लीटर) बरामद कर जांच उपरान्त जप्त किया। अधिपत्य एवं विक्रय के संबंध में लाइसेंस का पूछने पर अभियुक्त ने लाइसेंस न होना बताया है। उक्त मदिरा को पंचान साक्षीगण के समक्ष जप्त कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया और जमानत, मुचलके पर रिहा कर दिया गया। अभियुक्त के विरूद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34 (1) (क) के अधीन प्रकरण पंजीबद्ध कर, आवश्यक अन्वेषण पश्चात अभियोग पत्र इस न्यायालय में

दिनांक 13.10.2022 को प्रस्तुत किया गया।

3— अभियुक्त को आबकारी अधिनियम की धारा 34 (1) (क) के तहत अपराध की विशिष्टियां पढ़कर सुनाए, समझाये एवं पूछे जाने पर अभियुक्त ने अपने अभिवाक् में अपराध करना स्वीकार किया है।

:: निष्कर्ष ::

4— अभियुक्त की स्वेच्छया एवं स्पष्ट अपराध अभिस्वीकारोक्ति के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि घटना दिनांक को उसने अपने आधिपत्य में एक थैली में 11 पाव देशी मसाला मदिरा (कुल 1.98 बल्क लीटर) बिना वैद्य अनुज्ञप्ति के अवैध रूप से अपने अधिपत्य में रखा था। अतः अभियुक्त को आबकारी अधिनियम की धारा 34 (1)(क) के अधीन दण्डनीय अपराध के अभियोग के तहत दोषी पाया जाकर **दोषसिद्ध** किया जाता है। प्रकरण की परिस्थितियों तथा कारित अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिया जाना न्यायोचित नहीं है।

:: अंतिम आदेश ::

5— अपराध की गंभीरता, प्रकृति एवं प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को न्यायालय अवधि अवसान तक के कारावास तथा अर्थदण्ड से दंडित करना न्यायहित को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त होगा। फलतः अभियुक्त को आबकारी अधिनियम की धारा 34 (1) (क) के अधीन दण्डनीय अपराध में दोषसिद्धि पर न्यायालय अवधि अवसान तक का कारावास तथा 600/—(छह सौ) रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

6— अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में अभियुक्त को दस दिवस का साधारण कारावास पृथक से भुगवाया जाए।

7— अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रतिभूति—पत्र व बंधपत्र उन्मोचित किए जाते है।

8— प्रकरण में जप्तशुदा एक थैली में 11 पाव देशी मसाला मदिरा (कुल 1. 98 बल्क लीटर, मूल्य 880/— रूपये) अपील अवधि पश्चात नष्ट की जाए। अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार सम्पत्ति का व्ययन किया जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित।

SHIVANI SAINI

Digitally signed by SHIVANI SAINI
Date: 2022.10.13 15:17:11 +05'30'

(शिवानी सैनी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बदनावर
जिला धार (म.प्र.)

(शिवानी सैनी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बदनावर,
जिला धार (म.प्र.)